

डिक्री ब मुकदमें इबतदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D & I)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर
इजलास श्री नेमा राम

नेनाराम बनाम सीताराम वीरार

दावा बाबत 53,188 आर टी एक्ट राजस्व मूल वाद संख्या 59/2012
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकूलाय हाजरी वकील श्री मधुसूदन चौरा
मनजानिव मुदई वकील श्री मोहनराज कृष्णराव मनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम संपीठक.
दाधीचुडामे खसरा नम्बर 1872 में वादी के अधिवासीगण का
हुकूमिदा वदलीलार पीपाड शहर से प्राप्त बंदा
प्रस्तुत मय नजरी नक्शा रिपोर्ट दिनांक 20/5/2012 के अनुसार
होगा। वदलीलार पीपाड शहर से प्राप्त बंदा प्रस्तुत
मय नजरी नक्शा उक्त नियम से डिक्री के भाग रहेगा।
वदलीलार पीपाड शहर उम्गावुडार राजस्व रेडि में
कापश्चक कार्यवाही करे।

लीज शून्य मुवलिक शून्य बाबत शून्य खर्चा इस मुकदमें
के मय सूद व शरद शून्य फीसदी सालाना आज की तारीख से
तारीख वसूलयाबी तक शून्य को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25/09/2015 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

ओहदा सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर (अधीपक)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर (अधीपक)
स्टाम्प अरजोदाबा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक	
मीजान.....			मीजान.....	

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या
नही दर्ज करना चाहिये।